

6

2011-12 को धारित अचल संपत्ति का विशेष विवरण

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिस पर हो
2. वर्तमान धारित पद :- आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
4. वर्तमान पद का कुल वेतन :- रु. 52,500+GP 10,000/-

- संजय शुक्ला, भारतीय वन सेवा
3. प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक : मा.व.से.(परि) 4-4-87
5. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन :- रु. 2,200.00

क्र.	जिले, उपसभागा, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा बीरा गृह तथा अन्य (भूमि) आवासीय भवन प्लॉट एवं कृषि भूमि	संपत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका उस समय मूल्य	वर्तमान मूल्य (अनुमानित)	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे की गई हो उसका नाम तथा बीरा
1	2	3	4	5	6	7
1.	रायपुर संभाग ग्राम जरीदा, रायपुर	कृषि भूमि 2.96 हेक्टेयर	दि. 12.1.2000, रु. 5,87,000	रु. 35.00 लाख	स्वयं के नाम पर	कय किया गया
2.	पुरेना प.ह.नं. 113 रा.नि.नं. रायपुर-2, तह.-जिला रायपुर	0.251 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि.	वर्ष 1982	जमीन का लगभग रु. 40.00 लाख तथा फार्म हाउस का अनुमानित मूल्य रु. 15.00 लाख एवं 3.00 लाख के साजो सामान	स्वयं के नाम पर	पैतृक संपत्ति के बंटवारे से विरासत भेंट
3.	भाठागौड प.ह.नं. 105 रा.नि.म. रायपुर-1, तह. व जिले रायपुर	4480 वर्गफुट विकसित भूखण्ड	दिनांक 6.4.04, जमीन का मूल्य रु. 3,71,436/-	रु. 12.00 लाख	स्वयं के नाम पर	कय किया गया
4.	पुरेना तह. एवं जिला रायपुर	एच.आई.जी. इन्फ्लेक्स डिलक्स भवन क -1	24.08.2005 रु. 29,73,515/-	45 लाख	स्वयं एवं श्रीमति पीयूष शुक्ला (संयुक्त नाम) पर	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से कय किया गया
5.	धरम्पुरा, रायपुर	एच.आई.जी. भूखण्ड क्रमांक 105	20.07.07 रु. 6,43,986.00	10 लाख	स्वयं के नाम पर	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से कय किया गया

Sanjay Sukla

IFS CODE: - CHH06)


44/415

JPK

क.	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिए लागू गर वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण (जिससे ऋण या भेंट ली है तो उनका पूरा पता दिया जाए)	यदि संपत्ति में कोई सुधार/विस्तार किया गया तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/विस्तार के लिए शासन को नियमानुसार सूचित किया गया है या अनुमति ली गई	संपत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभियुक्त	
	8	9	10	11	12	13	14	
1.	म.प्र.शासन से अनुमति प्राप्त पत्र क्र-एफ 20/3/91/10-4 -भोपाल दिनांक 10-1-2000 रजिस्ट्री की सूचना पत्र क्र.-765 दि. - 26-2-2000 द्वारा दी गई है।	निम्नानुसार स्त्रोतों से राशि प्राप्त की गई- 1. पी.पी.एफ. ऋण 50,000 2. एन.ई.पी. 94,95,96 (3000 यूनिट) विक्रय राशि 4000 3. सेविंग बैंक अकाउण्ट से जमा राशि से आहरण 37,000			लगभग रु. 1.00 लाख			
2.	विरासत से प्राप्त		रु. 13,9400 लाख की लागत से अतिरिक्त निर्माण किया गया जिसमें से 8.50 लाख एच.डी.एफ.सी. से ऋण लेकर तथा शेष राशि अपने 6 में बतनमान के	शासन से प्राप्त अनुमति क्रमांक एफ-3-31/व/04/10-1 दिनांक 25.08.06 से प्राप्त। आदेशन क्र 2319 दिनांक 2 जून 2009 द्वारा			शासन को सूचनाएं 1650. दि. 05.08.2004	
3.	शासन को सूचनाएं पत्र क्र. -773/आ. आ./मडल/2004, दि.-16.4.04	निम्नानुसार स्त्रोतों से राशि प्राप्त की गई :- 1. पी.पी.एफ. खाते से 3,52,000/- 2. स्वयं के पास उपलब्ध नगद राशि 19,436/- योग - 3,71,436/-	एरियस से कार्य कराया गया।	अतिरिक्त व्यय की सूचना दी गई।				
4.	क्रमांक 4731 दिनांक 02.09.06	25 00 लाख एच.डी.एफ.सी. बैंक से लोन लेकर एवं 4.74 लाख पी.पी. एफ से						
5.	क्रमांक 4534 दिनांक 04.10.2007	स्वयं के बचत खाते से भुगतान (बाड इत्यादि)						

नोट :- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लगभग मूल्य बताया जाए। इसमें अल्पकालीन परदे भी शामिल है।

Sanjay Shukla
IFS CODE - EHH 061


(संजय शुक्ला)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

11/5
11/5